प्रतिलिपि पत्र संख्या- सम्ब0 68/सत्तर-6-2013-2(26)/2013 दिनांक 08.05.2013 द्वारा अनुसचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ सम्बोधित कुलसचिव, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सम्ब./1022/2013, दिनांक 30.03.2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के अधीन श्री ठाकुर जी महाराज महाविद्यालय, पुरवा, उन्नाव को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम में 100 सीटों की प्रवेश क्षमता सहित स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन <u>दिनांक 01.07.2013</u> से सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है:-

1. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किये जाने वाले मानकों तथा शासन द्वारा निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों एवं दिये जाने वाले समस्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी ।

2. महाविद्यालय/संस्थान द्वारा बी0एड0 पाठ्यक्रम में शासन द्वारा अनुमन्य समस्त सीटों को सुसंगत एवं अद्यतन शासनादेश के अनुसार किसी शैक्षिक सत्र में होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित एवं काउन्सिलिंग के माध्यम से आवंटित अभ्यर्थियों के माध्यम से ही भरा जाएगा तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार शैक्षिक दिवसों में पठन-पाठन कराया जाएगा ।

3. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी ।

4. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के सुसंगत प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

<u>छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर</u>

सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सम्ब0/ 1446 /2013 दिनांक 9/5/13

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रबन्धक, श्री ठाकुर जी महाराज महाविद्यालय, पुरवा, उन्नाव को इस आशय से प्रेषित है कि शासन के सम्बद्धता आदेश में वर्णित उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें ।
2. सहा0 कुलसचिव (परीक्षा) सी0एस0जे0एम0विश्वविद्यालय, कानपुर ।
3. सिस्टम मैनेजर, सी0एस0जे0एम0विश्वविद्यालय, कानपुर ।
4. इंचार्ज, ई0डी0पी0सेन्टर, सी0एस0जे0एम0विश्वविद्यालय, कानपुर ।

(सय्यद वकार हुसैन)
कुलसचिव

प्रतिलिपि पत्र संख्या–सम्ब0 997/सत्तर–6–2011–2(410)/2010 दिनांक 09 मई, 2012 द्वारा संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ सम्बोधित कुलसचिव, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर ।

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सम्ब./4337/2011 दिनांक 20.12.2011, पत्रांक सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सम्ब./514/2012 दिनांक 11.04.2012, पत्रांक सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सम्ब./604/2012 दिनांक 22.04.2012 तथा पत्रांक सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सम्ब./609/2012 दिनांक 23.04.2012 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा–37(2) के परन्तुक के अधीन श्री ठाकुर जी महाराज महाविद्यालय,पुरवा, उन्नाव को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम में 100 सीटो की प्रवेश क्षमता सहित स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित कमियों के विद्यमान होने के कारण मात्र शैक्षिक सत्र 2012–13 हेतु सम्बद्धता विस्तरण की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है:–

1. महाविद्यालय के भवन के सम्बन्ध में राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता, 2005 के प्राविधानों के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, उन्नाव का प्रमाणपत्र दिनांक 12.04.2010 प्रस्तुत किया गया है जबकि अधिशासी अभियन्ता का प्रमाणपत्र होना चाहिये ।
2. महाविद्यालय में अग्निशमन की पर्याप्त सुरक्षा होने के सम्बन्ध में अग्निशमन अधिकारी, उन्नाव का प्रमाणपत्र दिनांक 29.04.2010 उपलब्ध कराया गया है, जो अद्यतन नवीनीकृत नहीं है ।
3. अनुमोदित शिक्षकों का नियमित रूप से बैंक के माध्यम से वेतन भुगतान किये जाने सम्बन्धी माहवार विवरण बैंक से प्रमाणित नहीं दिया गया है ।
4. बी0एड0 शैक्षिक सत्र 2011–12 का परीक्षाफल नहीं है ।

(2) अतः उक्त के कम में यह निर्देशित किया जाता है कि सन्दर्भगत महाविद्यालय के बी0एड0 पाठ्यक्रम की शैक्षिक सत्र 2012–13 की सम्बद्धता विस्तरण की अवधि में निम्नलिखित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायः–

1. संस्था शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002,दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों एवं समय–समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी ।
2. महाविद्यालय/संस्था द्वारा बी0एड0 पाठ्यक्रम में शासन द्वारा अनुमन्य समस्त सीटों को सुसंगत एवं अद्यतन शासनादेश के अनुसार शैक्षिक सत्र 2012–13 की संयुक्त बी0एड0 प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित एवं काउन्सिलिंग के माध्यम से आवंटित अभ्यर्थियों के माध्यम से ही भरा जाएगा तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार शैक्षिक दिवसों में पठन–पाठन कराया जाएगा ।
3. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तो का अनुपालन करेगी ।
4. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के सुसंगत प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।
5. यदि प्रश्नगत मामले में एन0बी0सी0 का प्रमाणपत्र प्राईवेट एजेन्सी से प्राप्त है अथवा सक्षम स्तर का प्रमाणपत्र नहीं है, उनमें यथास्थिति लोक निर्माण विभाग अथवा ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के सक्षम अधिकारी (अधि0 अभियन्ता) का प्रमाणपत्र और अग्निशमन का प्रमाणपत्र अद्यतन नहीं है अथवा प्रमाणपत्र नहीं है, तो उनमें अग्निशमन का नवीनतम (वर्ष 2012 तक का) प्रमाणपत्र महाविद्यालय से विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 20.05.2012 तक प्राप्त कर लिया जायेगा, अन्यथा यह विस्तरण आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा ।

उपरोक्त पैरा में वर्णित शर्त के अलावा महाविद्यालय के सम्बन्ध में इंगित अन्य कमियां, जो इस पत्र के पैरा–1 में वर्णित है, के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शिक्षण सत्र 2012.–13 प्रारम्भ होने के पूर्व उक्त कमियों का निराकरण करा लिया गया है ।

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सम्ब0/ 797/2012 दिनांक 9/5/12

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रबन्धक, श्री ठाकुर जी महाराज महाविद्यालय,पुरवा, उन्नाव को इस आशय से प्रेषित है कि शासन के सम्बद्धता आदेश में वर्णित उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें ।
2. सहा. कुलसचिव(परीक्षा) सी0एस0जे0एम0विश्वविद्यालय, कानपुर ।
3. सहायक कुलसचिव(बी0एड0 प्रवेश परीक्षा) सी0एस0जे0एम0विश्वविद्यालय, कानपुर ।
4. सिस्टम मैनेजर, सी0एस0जे0एम0विश्वविद्यालय, कानपुर ।
5. इंचार्ज, ई0डी0पी0सेन्टर, सी0एस0जे0एम0विश्वविद्यालय, कानपुर ।

(सैय्यद वकार हुसैन)
कुलसचिव